न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 41/2022

जीसीएमएस नम्बर : 2022/71

प्रार्थी:–

1. चुन्नीदेवी पत्नी नारायण सिंह
2. नारायण सिंह पुत्र लाखुसिंह जातिगण रावत निवासीगण बोरीमादा तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. गोकुलराम नागर पुत्र गणेशराम नागर जाति मेघवाल, निवासी बोरीमादा, तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली
2. ग्राम पंचायत बोरीमादा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बोरीमादा, तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली
3. ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत बोरीमादा, तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली।

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी संख्या 2 नारायण सिंह स्वयं उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोड़ा।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

–: निर्णय :–

दिनांक : 09/01/2025

प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत बोरीमादा द्वारा मिसल संख्या 1/1999–2000 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 गोकुलराम नागर के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 2205 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण तारीख पेशी दिनांक 13.08.2024 को लिखित बहस पेश की। वक्त बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण अनुपस्थित होने से प्रार्थी संख्या 2 तथा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि जैर निगरानी पट्टे में प्रदर्श मानचित्र में पार्ट ए जो 60 X 20 बताया गया है, रास्ते की भूमि है। जैर निगरानी पट्टे की प्रमाणित प्रति जो ग्राम सेवक से प्राप्त की उसमें पट्टे के पड़ौस पूर्व दिशा में आम रास्ता, पश्चिम दिशा में नदी/नाला, उत्तर दिशा में सहकारी समिति का प्लाट तथा दक्षिण दिशा में पंचायत भवन व पंचायत का प्लाट आया हुआ है। साथ ही उक्त पट्टे की एक अन्य प्रमाणित प्रति जो कि उप पंजीयक मारवाड़ जंक्शन से प्राप्त की उसमें पट्टे की चुतर्दशी पूर्व दिशा में झूमी पत्नी दलाराम एवं पन्नू पत्नी रामा का मकान, पश्चिम दिशा में आम रास्ता व हथाई, उत्तर दिशा में पूनाराम पुत्र टीलाराम का मकान व पोल तथा दक्षिण दिशा में गजेन्द्र सिंह पुत्र लाखू सिंह का मकान व आम रास्ता दर्शित है। इस प्रकार उक्त

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

पट्टे की प्रतियों में भूखण्ड के स्थान की भारी भिन्नताएं विद्यमान है, जिससे उक्त पट्टा प्रथम दृष्टया ही फर्जी होना स्थापित होता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में पट्टे जारी किये जाने हेतु निर्धारित प्रक्रिया को अपनाया जाना आवश्यक है, परन्तु अप्रार्थी ने जैर निगरानी पट्टे हेतु न तो कोई आवेदन पेश किया, ना ही शुल्क जमा करवाई, ना ही आपत्ति पत्र चस्पा किया गया और न ही बयान लिये गये। साथ ही प्रार्थी ने कथन किया कि ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा नियम 157(ख) के तहत दिनांक 26 जनवरी 1999 को जारी किया जबकि 26 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश होता है एवं पट्टे पर सरपंच गुलाबी देवी के जो हस्ताक्षर है वह भी फर्जी है, इसके सम्बन्ध में सरपंच ने शपथ पत्र भी पेश किया है। जैर आराजी पर अप्रार्थी का न तो कोई कब्जा था, न ही कोई पुराना मकान उसके उपरान्त भी ग्राम पंचायत ने नियम 157(ख) के तहत जारी कर दिया। जिससे स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा ग्राम पंचायत ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये दूषित तरीके से जारी किया है जो विधिविरूद्ध होने से खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी जैर निगरानी में हितबद्ध व्यक्ति नहीं है और न ही प्रार्थी का कोई लोकस स्टेण्डाई है। धारा 97 के तहत पंचायती राज संस्था का अभिलेख, उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्यता के बारे में परीक्षण करना होता है जबकि ग्राम पंचायत का पत्र दिनांक 26.06.2022 के अनुसार जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित पट्टा मिसल, आदेश, संकल्प संख्या अधीनस्थ न्यायालय में उपलब्ध ही नहीं है, जब पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड उपलब्ध ही नहीं है तो उसका परीक्षण किये जाना सम्भव नहीं है, इस कारण भी जैर निगरानी खारिज योग्य है। जैर निगरानी पट्टा दिनांक 26.01.1999 को जारी किया गया है एवं अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा जैर निगरानी 23 वर्ष बाद प्रस्तुत की गयी है, जो म्याद बाहर होने से भी खारिज योग्य है। जैर निगरानी पट्टा पंजीयनशुदा है, जिसे निरस्त करने का अधिकार माननीय न्यायालय को नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध सिविल न्यायालय मारवाड़ जंक्शन में एक वाद प्रस्तुत किया है उसमें गठित मौका कमीश्नर रिपोर्ट अनुसार जैर आराजी में मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 का पट्टाशुदा, कब्जाशुदा भूखण्ड, मकान होना प्रमाणित है जिसे प्रार्थी संख्या 2 ने भी स्वीकार किया है। जैर निगरानी पट्टे की आराजी अप्रार्थी की कब्जेसुदा व उपयोग, उपभोग की रही है। उक्त भूमि का कभी भी रास्ते के रूप में उपयोग व उपभोग नहीं हुआ है। प्रार्थी जैर निगरानी पट्टे का केवलमात्र पड़ोसी होने से झूठे तथ्यों के साथ जैर निगरानी प्रस्तुत की है, जो खारिज योग्य है। जैर निगरानी पट्टे के पूर्व दिशा में झुम्मी देवी पत्नी दलाराम का मकान एवं पन्नू पत्नी रामा का मकान तथा दक्षिण दिशा में गजेन्द्रसिंह पुत्र लाखूसिंह का मकान व आम रास्ता है (जहा पर वर्तमान में प्रार्थी निवासरत है) जबकि प्रार्थी ने उक्त दिशाओं में झूठे पड़ौसियों को बताकर निगरानी पेश की है। अप्रार्थी के पक्ष में जारी जैर निगरानी पट्टा एवं रजिस्टर्ड पट्टे के पीछे का नक्शा एकसमान है जबकि प्रार्थी द्वारा लिखित बहस के साथ प्रस्तुत नक्शा भिन्न है। प्रार्थी ने जिस सरपंच गुलाबी देवी का शपथ पत्र पेश कर कथन किया कि गुलाबी देवी हस्ताक्षर नहीं कर अंगुष्ठ निशान करती है जबकि तत्समय सरपंच गुलाबी देवी का हस्तगत पट्टे में कोई भूमिका नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों की

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)
अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

पालना करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो विधिनुसार सही है। अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जैर निगरानी को खारिज फरमावे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं प्रार्थी व अधिवक्ता अप्रार्थी की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत बोरीमादा द्वारा मिसल संख्या 1/1999–2000 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 गोकुलराम नागर के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 2205 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि निगरानी केवलमात्र हितबद्ध पक्षकार ही प्रस्तुत कर सकता है परन्तु जैर निगरानी में प्रार्थी का कोई हित निहित नही है जबकि अधिवक्ता प्रार्थी ने इस कथन का विरोध करते हुये यह जाहिर किया कि राज पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 में यह स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्व व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्ही भी कार्यवाहियो के सम्बन्ध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उप समिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में ऐसी कार्यवाहियो की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और यदि किसी भी मामले में, यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए तो वह तदनुसार आदेश पारित कर सकेगी, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति निगरानी प्रस्तुत कर सकता है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने यह भी कथन किया कि प्रार्थीगण ने जैर निगरानी 23 वर्ष बाद प्रस्तुत की है, जो म्याद बाहर होने से भी खारिज योग्य है, जिसके सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त RLW 2000(2) Raj 911 के अनुसार राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953, धारा 27–क सपठित राजस्थान पंचायत एवं साधारण नियम 1961, नियम 272– अधिनियम या नियम के अन्तर्गत परिसीमा की अवधि के प्रावधानों की अनुपस्थिति – नियम 272 के अन्तर्गत प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षणीय शक्तियों का प्रयोग– अभिनिर्धारित – न्यायोचित अवधि के भीतर प्रयोग करना चाहिए – न्यायोचित अवधि प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगी – न्यायालय केवल विधि की व्याख्या करते है न कि विधि का निर्माण करते है, जो कि अधिवक्ता अप्रार्थी के कथनों का समर्थन नहीं करती है इसलिये जैर निगरानी अन्दर म्याद शुमार की जाती है। साथ ही राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 के नियम 97 के तहत पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु किसी प्रकार की समयावधि निर्धारित नहीं की है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी लिखित बहस में मुख्य रूप से यह कथन किया कि अप्रार्थी को जारी जैर निगरानी पट्टे में प्रदर्श मानचित्र में पार्ट ए जो 60 X 20 बताया गया है, रास्ते की भूमि है जिसके दक्षिण में प्रार्थी निवासरत है। अधिवक्ता प्रार्थी के उक्त कथन का विरोध करते हुये अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया कि अप्रार्थी के पक्ष में जो जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है वह रास्ते की भूमि का न होकर आबादी भूमि का है, जिसका उपयोग उपभोग अप्रार्थी लम्बे समय से करता आ रहा है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने कथनों की ताईद में प्रार्थी नारायणसिंह के पक्ष ग्राम पंचायत बोरीमादा द्वारा दिनांक 23.12.2013 को जारी स्वामित्व प्रमाण–पत्र की प्रति पेश की जिसमें प्रार्थी नारायणसिंह के

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

पट्टे के उत्तर दिशा में अप्रार्थी गोकुलराम बलाई का मकान एवं पश्चिम दिशा में आम रास्ता अंकित किया है तथा प्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किये गये पंजीबद्ध बेचाणनामा दिनांक 26.12.2013 में भी प्रार्थी ने अपने पट्टे के पड़ौस उत्तर दिशा में गोकुलराम बलाई का मकान एवं पश्चिम दिशा में आम रास्ता बताया है। प्रार्थीगण की पंजीबद्ध बेचाणनामा दिनांक 23.12.2013 में यह स्वीकारोक्ति है कि प्रार्थी के मकान की उत्तर दिशा में अप्रार्थी का मकान है जो ग्राम पंचायत द्वारा जारी स्वामित्व प्रमाण पत्र से भी सिद्ध होता है, लिहाजा यह स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा आबादी भूमि में ही जारी किया गया है जो विधिनुसार है।

इसके अतिरिक्त अधिवक्ता प्रार्थी ने यह भी कथन किया कि जैर निगरानी पट्टे की जो दो प्रति उन्हे प्राप्त हुई है उन दोनो में जैर आराजी के नक्शे में विरोधाभास है जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रेकर्ड मूल पट्टा बूक के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधिवक्ता प्रार्थी को आरटीआई के तहत जो प्रति प्राप्त हुई है उसके प्रथम पृष्ठ तो पट्टा संख्या 2205 का ही भाग है परन्तु उसके पीछे का भाग पट्टा संख्या 2204 का भाग अंकित है जबकि दूसरी प्रति पट्टा संख्या 2205 का ही सम्पूर्ण भाग है। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी सम्पूर्ण बहस का मुख्य आधार पट्टा संख्या 2204 का नक्शा ही लिया है जबकि हस्तगत निगरानी पट्टा संख्या 2205 से सम्बन्धित है। इसलिये अप्रार्थी प्रार्थी द्वारा अपनी लिखित बहस में प्रस्तुत तथ्य हस्तगत प्रकरण से तर्कसंगत नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं है।

प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टे पर टाईपराईटर से टंकण किया है तथा पट्टे पर सरपंच गुलाबी देवी के जो हस्ताक्षर है वह भी फर्जी है, क्योंकि वह निरक्षर है और अगुंष्ठ निशान करती है, इसके सम्बन्ध में सरपंच गुलाबी देवी ने शपथ पत्र भी पेश किया है। प्रार्थी के उक्त कथन का विरोध करते हुये अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय सरपंच गुलाबी देवी की कोई भूमिका ही नहीं थी। प्रार्थी जिस टाईपराईटर टंकण का कथन कर रहे है वह पट्टे के नवीनीकरण से सम्बन्धित है। ग्राम पंचायत से प्राप्त रेकर्ड मूल पट्टा बूक में हस्तगत पट्टे के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मूल पट्टे में टाईपराईटर से कोई टंकण नहीं किया गया है और न ही सरपंच गुलाबी देवी के हस्ताक्षर है। साथ ही अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने जवाब के साथ प्रस्तुत जैर निगरानी पट्टे की प्रति से यह सुस्पष्ट है कि टाईपराईटर का टंकण जैर निगरानी पट्टे के नवीनीकरण हेतु किया गया है जिसके सम्बन्ध में सरपंच गुलाबी देवी के हस्ताक्षर किये गये है एवं उक्त दोनों पट्टो की पुश्त पर एक ही सरपंच के हस्ताक्षर है, जो पट्टे के जारी होने से सम्बन्धित है जबकि सरपंच गुलाबी देवी के हस्ताक्षर केवल मात्र पट्टे के नवीनीकरण से सम्बन्धित है जिनकी हस्तगत पट्टे में कोई भूमिका नहीं है। प्रकरण के विवेचन से स्पष्ट है कि अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी लिखित बहस में एवं प्रार्थी द्वारा वक्त बहस ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं किये है जिससे यह जाहिर हो सके कि जैर निगरानी पट्टा विधिविरूद्ध जारी किया गया है।

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

इसके अतिरिक्त प्रार्थी ने यह भी कथन किया कि अप्रार्थी ने जैर निगरानी पट्टे हेतु न तो आवेदन पेश किया, न ही शुल्क जमा करवाई, न ही ग्राम पंचायत ने आपत्ति इश्तिहार चस्पा किया और न ही स्वतंत्र गवाहों के बयान लिये गये अर्थात् ग्राम

पंचायत ने राजस्थान पंचायती राज नियम 1994 में पट्टा जारी किये जाने हेतु विधित प्रक्रिया की पालना न कर विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो खारिज योग्य है। इसके सम्बन्ध में अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया कि धारा 97 के तहत माननीय न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगाकर प्रश्नगत आदेश की समीक्षा करेगा परन्तु प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड ही नहीं है ऐसी स्थिति में प्रश्नगत आदेश की समीक्षा करना संभव नहीं है एवं उक्त पट्टे के संबंध में ग्राम पंचायत में वर्तमान में कोई रेकर्ड उपलब्ध नहीं है तो इसमें अप्रार्थी का दोष नहीं है तथा इसका खामियाजा वो क्यों भुगते ? ग्राम पंचायत ने अपने पत्र दिनांक 26.06.2022 के द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित पट्टा बुक एवं ग्रामसभा रजिस्टर उपलब्ध करवाया तथा मिसल रिकार्ड में उपलब्ध नहीं होना बताया। जब ग्राम पंचायत में जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित मिसल ही उपलब्ध नहीं है तो उक्त पट्टे की वैधानिकता एवं सत्यता की जांच किया जाना सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में हस्तगत पट्टे को खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत बोरीमादा द्वारा मिसल संख्या 1/1999–2000 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 गोकुलराम नागर के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 2205 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 09/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)